उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह।

(Email id :- dccourt.grd@gmail.com)

भूमि मुक्ति (प्रतिबंधित सूची से) वाद सं0- 07/2021

सहादत अली –बनाम– राज्य

–:आदेशः–

8/10/21

यह वाद आवेदक सहादत अली, पिता–स्व0 मेनेजर अंसारी, सा0–घंधरी, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह के आवेदन के आधार पर प्रारंभ की गई है जिसके द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि निम्नांकित विवरणी अनुसार सूचिबद्ध प्रतिबंधित भूमि को प्रतिबंध से मुक्त किया जायः–

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	प्रतिबंध से मुक्ति हेतु प्रस्तावित रकवा
बगोदर	घंघरी	254	13	2058	3.01 डी0

अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह के पत्रांक 811/रा0 दिनांक 05.04.2021 के आलोक में अंचल अधिकारी, बगोदर के पत्रांक 415 दिनांक 19.05.2021 से यह प्रतिवेदन प्राप्त है कि वादगत भूमि रैयती खाते की है जिसका रकवा 6.0 डी0 है एवं इसी भूमि से N.H.A.I द्वारा 2.99 डी0 भूमि अधिगृहित की गई थी एवं उसका मुआवजा भी आवेदक को प्राप्त हुआ था। आवेदक वर्तमान में शेष भूमि 3.01 डी0 को बिक्री करना चाहतें है परन्तु प्रतिबंधित सूची में रहने के कारण वे इसकी बिक्री नहीं कर पा रहें है। अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा उक्त भूमि को प्रतिबंधित सूची से मुक्त करने की अनुशंसा की गई है।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची के अधिसूचना संख्या–452/नि0, दिनांक 07.09.2021 के आलोक में अपर समाहर्त्ता, कार्यालय, गिरिडीह द्वारा उक्त अभिलेख इस न्यायालय को स्थानान्तरित की गई है। तदनुसार वाद को पंजीकृत किया गया एवं वादी को अपना पक्ष रखने हेतु ज्ञापांक 239/न्या0 दिनांक 26.09.2021 द्वारा नोटिस निर्गत किया गया एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता, गिरिडीह से मंतव्य प्राप्त करने हेतु निदेशित किया गया।

निर्धारित तिथि दिनांक 01.10.2021 को वादी द्वारा अपना पक्ष रखते हुए यह कहा गया कि वादगत भूमि रैयती खाते की है एवं उनके पिता के नाम से जमा बंदी चल रही है तथा इसी प्लॉट से पूर्व में 2.99 डी0 भूमि N.H.A.I द्वारा अधिगृहित की गई थी एवं उसका मुआवजा भी आवेदक को प्राप्त हुआ था। शेष भूमि को वे आर्थिक कारणों से बिक्रय करना

चाहते हैं परन्तु उक्त भूमि प्रतिबंधित सूची में रहने के कारण इसकी बिक्री नहीं की जा पा रही है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता, गिरिडीह के मंतव्य उनके पत्र दिनांक 30.09.2021 द्वारा प्राप्त है। उनके अनुसार वादगत भूमि को इस शर्त के साथ मुक्त करने हेतु मंतव्य दिया गया है कि भूमि मुक्ति आदेश आवेदिका के Right, Title एवं Share को सम्पुष्ट नहीं करता है।

अंचल अधिकारी, बगोदर के अनुशंसा, वादी के अभिकथन, विद्वान सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य एवं अभिलेख में न्यस्त कागजात के अवलोकन एवं विश्लेषण के उपरांत यह परिलक्षित होता है कि:–

1. वादगत भूमि रैयती खाते की है।
2. वादगत प्लॉट से पूर्व में 2.99 डी0 भूमि N.H.A.I द्वारा अधिगृहित की गई थी एवं उसके मुआवजा का भुगतान आवेदक को रैयत मानते हुए किया गया है।
3. अंचल अधिकारी द्वारा उक्त प्लॉट में शेष बची भूमि 3.01डी0 को प्रतिबंधित सूची से मुक्त करने की अनुशंसा की गई है।
4. प्रतिबंधित सूची में रहने के कारण आवेदक अपनी भूमि का बिक्रय नहीं कर पा रहे हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक के आवेदन में वर्णित अंचल–बगोदर, मौजा–घंघरी, थाना नं0–254, खाता नं0–13, प्लॉट नं0–2058 मे से रकवा–3.01 डी0 (तीन दशमलव शून्य एक डी0) भूमि को प्रतिबंधित सूची से मुक्त किया जाता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यह भूमि मुक्ति आदेश आवेदक/आवेदिका के Right, Title, Interest एवं Share (हिस्सा) को सम्पुष्ट (Confirm) नहीं करता है।

आदेश से सभी संबंधित को अवगत करा दी जाय।

लेखापित एवं संशोधित।

Rahul

जिला दण्डाधिकारी
सह
उपायुक्त, गिरिडीह।

Rahul

जिला दण्डाधिकारी
सह
उपायुक्त, गिरिडीह।

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2021.10.24 23:02:48 +05:30
Location: 192.168.208.138